

पुल गाव में आचम किकी
बमुक्त में ईबावाह

अ. आवेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया राहिया
न्यायालय साहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाशी संगरिया

धीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 162/2023
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. रूलदु सिंह
2. बोहड सिंह
3. मन्दर सिंह
4. निर्मल सिंह

पिसरान हमीर सिंह जाति मजहबी सा. लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

1. गोलोकोर
2. टुसी कौर
3. माने कौर
4. अमृतपाल सिंह पुत्र लाभ सिंह
5. कुलदीप सिंह पुत्र लाभ सिंह
6. कुलदीप कौर पत्नी नेक सिंह
7. काकुसिंह पुत्र नेक सिंह
8. किरणजीत कौर पुत्री लाभ सिंह
9. कौर सिंह पुत्र जैला सिंह
10. गुरप्रीत कौर पुत्री नेक सिंह
11. जंगीर कौर पत्नी गुपा सिंह
12. जसप्रीत कौर पुत्री नेक सिंह
13. जसपाल कौर पुत्री नेक सिंह
14. जसविन्द्र कौर पत्नी लाभ सिंह
15. मन्दर सिंह पुत्र गुपा सिंह
16. मेजर सिंह पुत्र जैला सिंह
17. मनदीप कौर पुत्री नेक सिंह
18. मनप्रीत कौर पुत्री नेकसिंह
19. रणधीर सिंह पुत्र मेल सिंह
20. राजेन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप कौर
21. वीरपाल कौर पुत्री गुपा सिंह
22. वीरासिंह पुत्र करनैल सिंह
23. सुखजीत कौर पुत्री जैला सिंह (फौत)
24. हरदीप कौर पुत्री लाभ सिंह
25. मिटूसिंह पुत्र हमीर सिंह (फौत)
- 25/1 इकबाल सिंह पुत्र मिटू सिंह
26. अनाम सिंह पुत्र हमीर सिंह
27. कलवन्त सिंह पुत्र हमीर सिंह
28. गुरासिंह पुत्र हमीर सिंह
29. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तहसील संगरिया

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 3-9-2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे
वहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री वकील प्रतिवादी मिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम
डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकाशी
संगरिया

काशतकार मय वल्लियत एवं खाता	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार कब्जा
अनामसिंह 0.279 हि, 2. वल्लसिंह 0.278 हि, 3. गुरासिंह 0.278 हि, 4. भिवूसिंह 0.278 हि, 5. गेलौकौर 0.063 हि, 6. बालाब 0.063 हि, 7. निर्मलसिंह 0.063 हि, 8. बोहडसिंह 0.064 हि, 9. रसिंह 0.063 हि, 10. मानेकौर 0.063 हि, 11. रूलदूसिंह 0.063 हि, 12. बलवीरकौर पत्नी लम्बी ढाब 13. अमृतपालसिंह 0.014 हि, 14. कुलदीपसिंह 0.014 हि, 15. किरणजीतकौर 0.014 हि, 16. जसविन्द्रकौर पत्नी लाभसिंह 0.049 हि, 17. प्रीतकौर 0.049 हि, 18. प्रीतकौर 0.049 हि, 19. कुलदीपकौर पत्नी नेकसिंह 0.070 हि, 20. कौरसिंह 0.070 हि, 21. मेजरसिंह 0.070 हि, 22. सुखजीतकौर 0.070 हि, 23. जंगीरकौर पत्नी सिंह 0.123 हि, 24. जसपालकौर 0.024 हि, 25. राजेन्द्र 0.023 हि, 26. लदीपकौर 0.492 हि, 27. बलवीरसिंह पुत्र सिंह 0.246 हि, जाति मजहबी लम्बी ढाब खातेदार	प.म. संतापुरा के चक 8 एएमपी के खाता सं. 11/8 खाते का योग 3.137 हैव. (विवादित श्रेणी का है)	1. अनामसिंह 0.371 हि, 2. कलवन्तसिंह 0.371 हि, 3. गुरासिंह 0.371 हि, जाति मजहबी सा. लम्बी ढाब गोलोकौर 2. दूरिकौर, 3. निर्मलसिंह 4. बोहडसिंह, 5. मन्दरसिंह 6. मानेकौर 7. रूलदूसिंह पि हमीरसिंह जाति मजहबी सा. लम्बी ढाब	प.म. 182/145 मु. 18 किला नं. 3A/5/77 हि 2 नदरी 182/5/205 हि 2 नदरी कुल 1.112 हि नदरी प.म. 182/145 मु. 18 किला नं. 3A/5/77 हि 2 नदरी प.म. 182/145 मु. 51 किला नं. 3A/5/77 हि 2 नदरी 182/5/205 हि 2 नदरी कुल 1.012 हि नदरी प.म. 182/145 मु. 18 किला नं. 17,18,19,20/15 255 हि 2 नदरी कुल 1.012 हि नदरी
	अमृतपालसिंह 2. कुलदीपसिंह 3. किरणजीतकौर 4. हरदीपकौर पि लाभसिंह, 5. जसविन्द्रकौर पत्नी लाभसिंह 1/28 हि बहिय 6. काकूसिंह 7. गुरप्रीतकौर 8. जसप्रीतकौर 9. मनप्रीतकौर पि नेकसिंह, 10. कुलदीपकौर पत्नी नेकसिंह 1/8 हि बहिय 11. कौरसिंह 1/28 हि 12. बलदेवकौर 1/28 हि, 13. मेजरसिंह 1/28 हि, 14. मनजीतकौर 1/28 हि, 15. सुखजीतकौर पि जैलासिंह 1/28 हि 16. जंगीरकौर पत्नी गुपासिंह 1/16 हि, 17. जसपालकौर 1/16 हि, 18. मन्दरसिंह 1/16 हि, 19. वीरपालकौर पि गुपासिंह 1/16 हि, 20. रणधीरसिंह पति कुलदीपकौर 1/84 हि, 21. राजेन्द्र 1/84 हि, 22. मनदीपकौर पि कुलदीपकौर 1/84 हि, 23. बलवीरसिंह पुत्र मलसिंह 1/4 हि, 24. वीरसिंह पुत्र करनैलसिंह 1/8 हि जाति मजहबी सा. लम्बी ढाब		



अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1947 दिनांक 02.06.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

महायुक्त, कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में सुखजीतकौर, बलवीर सिंह, जंगीरकौर फौल होना तथा इनके वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार सुखजीतकौर, बलवीर सिंह, जंगीरकौर के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाये।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमे के मय शूद या शरह फीसदी सालाना आज की तिथि से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2-9-2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कोशिक)

सहायक कमिश्नर एवं
उपनिवेश अधिकारी
राजस्व अंशकारी
संगरिया
महाराष्ट्र